



मुख्य मलेरिया कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, बिहार, पटना 800006  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, NVBDCP प्रभाग

E-mail ID – spovbd@bihar.gov.in Phone No. 0612-2370131

पत्रांक CMO/JE-Fogging-2017/.....1241.....



प्रेषक,

डॉ० अशोक कुमार,

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,  
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

पटना, दिनांक:— 04.12.2023..

विषय:— JE, Dengue एवं चिकनगुनिया प्रभावित क्षेत्रों में Technical Malathion का फॉगिंग कराने की मार्गदर्शिका का प्रेषण करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक किसी भी वित्तीय वर्ष में RoP के अनुमोदन की प्रत्याशा में कर्णाकित विभिन्न मदों की राशि Ongoing Activities में खर्च करने का निदेश मिशन निदेशक, NHM नई दिल्ली एवं कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर दिया जाता रहा है ।

अतः JE, Dengue एवं चिकनगुनिया प्रभावित क्षेत्रों में इसके नियंत्रणार्थ Technical Malathion का फॉगिंग मरीज के प्रतिवेदित होने पर तुरंत संबंधित FMR Code में निहित निदेशों का अनुपालन नियमानुकूल करते हुए किया जाए। पत्र के साथ JE, Dengue एवं चिकनगुनिया नियंत्रणार्थ टेक्निकल मालाथियोन फॉगिंग की मार्गदर्शिका संलग्न है ।

उक्त पर सचिव स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनुलग्नक: मलाथियोन फॉगिंग की मार्गदर्शिका ।

विश्वासभाजन,

P. Prasad  
04/12/23

(डॉ० परमेश्वर प्रसाद)

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

04/12/23

(डॉ० अशोक कुमार)

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

VBD कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,

ज्ञापांक CMO/JE-Fogging-2017/.....1241.....

पटना, दिनांक 04.12.2023.....

प्रतिलिपि:—सभी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण कार्यक्रम) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—सचिव स्वास्थ्य सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Contd....



मुख्य मलेरिया कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, बिहार, पटना 800006

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, NVBDCP प्रभाग

E-mail ID – spovbd@bihar.gov.in Phone No. 0612-2370131

JE, Dengue एवं चिकनगुनिया नियंत्रणार्थ टेक्निकल मालाथियों फॉगिंग की मार्गदर्शिका :-

- JE, Dengue एवं चिकनगुनिया मरीज के चयन का आधार :-**ELISA Reader मशीन द्वारा IgM से JE एवं चिकनगुनिया तथा NS1 ELISA Test (एक से पाँच दिन के बुखार पीड़ित मरीज) एक IgM से (पाँच दिन के बाद के बुखार पीड़ित मरीज) Dengue Positive होने पर मरीज को सम्पुष्ट मरीज माना जाएगा। Rapid Diagnostic Test Kit मशीन द्वारा Dengue Positive केवल स्कीनिंग Test है। अतः Rapid Diagnostic Test Kit से Dengue Positive आने पर इसकी सम्पुष्ट जाँच ELISA Test मशीन से किया जाना चाहिए। JE, चिकनगुनिया अथवा Dengue का Fogging कराने के पूर्व मरीज का Travel History अवश्य लिया जाए।
- फॉगिंग हेतु प्रभावित क्षेत्रों का चयन :-**JE सम्पुष्ट मरीज के प्रतिवेदित होते ही प्रभावित मरीज के गाँव में एवं डेङ्गू/चिकनगुनिया सम्पुष्ट मरीज होने पर प्रभावित मरीज के घर के 500 मीटर की परिधि (रेडियस) में टेक्निकल मालाथियों के फॉगिंग हेतु चयनित किया जाए। यह फॉगिंग Outdoor होगा अर्थात् फॉगिंग घर के अन्दर नहीं किया जाएगा। सम्पुष्ट मरीज प्रतिवेदित होते ही उसके आवासीय पते पर अविलम्ब टेक्निकल मालाथियों का फॉगिंग कराया जाए। भले ही किसी कारणवश वह मरीज अपने आवासीय पते पर आए अथवा नहीं आए। इसका उद्देश्य इस बीमारी के वाहक मच्छर से उस क्षेत्र को मुक्त कराना है।  
शहरी क्षेत्रों में उक्त प्रतिवेदित मरीजों के निवास स्थल के आस-पास टेक्निकल मालाथियों का फॉगिंग नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा पूर्व की भौति अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए कराया जाएगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के जिला/प्रखण्ड के कार्यालयों द्वारा कराया जाएगा।
- कार्ययोजना का निर्माण :-** कार्ययोजना में फॉगिंग की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का चयन, संस्थान का नाम जहाँ से मरीज प्रतिवेदित हुए हैं, JE चिकनगुनिया एवं Dengue मरीज का नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, मोबाईल नं०, PHC का नाम, Sub Centre का नाम, गाँव का नाम जहाँ से मरीज प्रतिवेदित हुए हैं, घरों की संख्या, आच्छादित जनसंख्या, तथा सुपरवाइजर का नाम शामिल किया जाए। आपके जिले में जिस मॉडल का फॉगिंग मशीन हो उसमें वर्णित दिशा निदेश के आलोक में कार्ययोजना का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रतिवेदित मरीज का मोबाईल नं० कार्य योजना में स्पष्ट वर्णित होना चाहिए। यदि किसी कारणवश मरीज के लाईन लिस्ट में स्पष्ट पता एवं मोबाईल नं० अंकित नहीं हो, तब प्रतिवेदित संस्थान से इसकी अधतन विवरणी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सार्थक पहल की जाए।
- मानव संसाधन का चयन :-** जिला मलेरिया कार्यालय अथवा फाईलेरिया नियंत्रण ईकाई में पदस्थापित SFW अथवा FW के माध्यम से ही टेक्नीकल मालाथियों का फॉगिंग कराया जाए। जिन जिलों में SFW अथवा FW नहीं है, वे जिले एक फॉगिंग मशीन पर सिर्फ एक दैनिक मजदूर को फॉगिंग कार्य में लगाएँगे एवं उसे मलेरिया/कालाजार कार्यक्रम में FW को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की राशि का भुगतान करेंगे।
- फॉगिंग हेतु आवश्यक सामग्री :-** डीजल, पेट्रोल एवं टेक्निकल मालाथियों हेतु कन्टेनर, ग्लोब्स, मास्क, रिच छोटा एवं बड़ा, स्कू टार्च, मारकीन कपड़ा, रजिस्टर, कलम, एवं मशीन स्टार्ट करने हेतु बैट्री इत्यादि शामिल है।
- प्रचार-प्रसार :-** फॉगिंग के पहले प्रभावित गाँवों में पूर्व सूचना दी जाए। रखास की बीमारी वाले मरीज एवं घर के पालतु जानवरों को फॉगिंग के धुएँ के दूष्रभाव से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी बरते। साथ ही फॉगिंग के समय यह भी सूचना दी जाए कि आमजन अपने मकानों की खिड़कियों एवं दरवाजों को खुला रखें एवं भोज्य पदार्थों को ढँक लें।
- फॉगिंग की अवधि :-** जे०ई० नियंत्रणार्थ फॉगिंग सूर्यास्त के बाद तथा Dengue एवं चिकनगुनिया में फॉगिंग सूर्योदय के उपरान्त एवं सूर्यास्त के पहले करायी जाए।
- फॉगिंग हेतु राशि का प्रावधान :-** JE एवं Dengue के Fogging हेतु RoP में FMR Code चिन्हित किए गए हैं एवं राशि का प्रावधान किया गया है। विदित हो कि Fogging का कार्य Ongoing प्रक्रिया है अतः JE अथवा Dengue के मरीज प्रतिवेदित होते ही RoP अनुमोदन की प्रत्याशा में अविलम्ब फॉगिंग कराई जाए। किसी कारण से राशि समाप्त हो जाने के उपरान्त जिला/प्रखण्ड स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र (CHC/PHC/RH/SDH/DH) के रोगी कल्याण समिति मद से Fogging कराई जा सकती है।
- फॉगिंग हेतु वाहन का प्रावधान :-** राज्य के 33 कालाजार प्रभावित जिलों में कालाजार कार्यक्रम मद से वाहन की उपलब्धता का प्रावधान पूर्व से ही है। अतः ये जिले फॉगिंग हेतु अलग से भाड़े का वाहन नहीं रखेंगे। शेष 5 जिले जो कालाजार प्रभावित नहीं है, यथा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं जमुई, ये जिले वाहन की



✓



पत्रांक- 1241

दिनांक- 04.12.2023

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Contd....

- अनुपलब्धता पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर फॉगिंग हेतु वाहन रखेंगे जिसका भुगतान JE एवं Dengue के Fogging हेतु कर्णांकित FMR Code किया जाए। प्रत्येक वाहन पर दो से तीन दल भेजे जाएं जिन्हें बारी-बारी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाया जाए। इस दल के साथ सुपरवाइजर भी रहेंगे। सुपरवाइजर का चयन सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी करेंगे।
- फॉगिंग मशीन का प्रशिक्षण :-** लगभग सभी जिलों में फॉगिंग के प्रशिक्षित कर्मी है। इन प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड/पी0एच0सी0 स्तर पर कर्मियों को चिन्हित करते हुए फॉगिंग के दौरान इन्हें भौतिक रूप से प्रशिक्षित कराया जाए। यदि किसी जिले में प्रशिक्षित कर्मी नहीं हो तो नजदीक के जिले से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।
  - फॉगिंग मशीन का रख-रखाव :-** फॉगिंग पूर्ण होने के पश्चात् फॉगिंग मशीन एवं उपकरणों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव फॉगिंग मशीन के कार्टून में संलग्न मार्गदर्शिका के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। फॉगिंग मशीन की मॉग अथवा दूसरे जिले को विचलन की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिया जाए। फॉगिंग की समाप्ति के उपरान्त मशीन के फ्यूल टैंक जिसमें डीजल एवं मॉलाथियान मिश्रण रखा जाता है को खाली कर डीजल से अच्छी तरह धुलाई करवा कर रखा जाए। **यह अत्यन्त आवश्यक है।**
  - पर्यवेक्षण :-** प्रखण्ड/पी0एच0सी0 स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि/जिला स्तर पर सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा फॉगिंग का पर्यवेक्षण किया जाए। राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
  - फॉगिंग का प्रमाण पत्र :-** फॉगिंग कराने के पश्चात् प्रतिवेदित मरीज के घर के अभिभावक अथवा वयस्क सदस्य के अतिरिक्त गाँव की आशा दीदी/जीविका दीदी/उस गाँव के जनप्रतिनिधि/गणमान्य व्यक्ति में से किन्हीं दो सदस्यों का Fogging Register पर फॉगिंग किए जाने का प्रमाण के रूप में पूरा हस्ताक्षर लिया जाए जिसमें उनका नाम, पता एवं मोबाईल नं० अवश्य अंकित हो। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार द्वारा इसी प्रमाण एवं मोबाईल नं० से सम्पुष्ट होने के आधार पर ही Fogging मद में व्ययगत राशि का भुगतान किया जाए।
  - कंट्रोल रूम की स्थापना :-** जिला मलेरिया कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए जो फॉगिंग के पूर्व सूचना संबंधित प्रखण्ड/पी0एच0सी0 स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र को देंगे तथा फॉगिंग कार्यो का अनुश्रवण करेंगे। कंट्रोल रूम में किए जा रहे फॉगिंग की कार्ययोजना उपलब्ध रहनी चाहिए।
  - प्रतिवेदन का प्रेषण :-** फॉगिंग की समाप्ति के पश्चात् निम्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए -

### विहित प्रपत्र

जिला का नाम:-

फॉगिंग से आच्छादित CHC/PHC/RH/SDH का नाम एवं कुल संख्या	आच्छादित Sub Centre का नाम एवं संख्या	आच्छादित गाँवों की कुल संख्या	आच्छादित घरों की कुल संख्या	फॉगिंग से आच्छादित कुल जनसंख्या	अभियुक्ति
<b>हस्ताक्षर</b>					
<b>जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार</b>					

- SoE, UC एवं FMR Code :-** वित्तीय मार्गदर्शिका के आलोक में JE एवं Dengue के कर्णांकित सुसंगत FMR Code से नियमानुकूल राशि खर्च करने हेतु जिला के सक्षम पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। **SoE एवं UC पर यह वर्णित करना अनिवार्य होगा कि राशि नियमानुकूल खर्च की गई है।**
- जिले के नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के सक्षम प्राधिकार को शहरी क्षेत्रों में टेक्निकल मलाथियॉन का फॉगिंग कराने हेतु इस मार्गदर्शिका की प्रति सिविल सर्जन निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर पर मुख्य मलेरिया कार्यालय पटना के email ID spovbd@bihar.gov.in/spomalariabihar@gmail.com पर फॉगिंग प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में फॉगिंग के उपरान्त उपलब्ध कराई जाए।  
**उक्त पर सचिव स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।**

*P. Prasad 04/12/23*

(डॉ० परमेश्वर प्रसाद)

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी  
फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1241

दिनांक-04-12-2023

*Dr. Ashok Kumar*

(डॉ० अशोक कुमार)

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी  
VBD कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



## राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

